वित्त निर्देश 31 /2022

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 2151 / पीएफएमएस / ब–4 / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/11/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत वेतन भत्तों का आहरण।

संदर्भ :– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन एफ.क्र. 1(13) / पीएफएमएस / एफसीडी / 2020 दिनांक 08.03.2022 (संलग्न) एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का पत्र क्र. टी.एम. / 1460, दिनांक 18.10.2022.

-----000-----

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राशि विमुक्ति हेतु एस.एन.ए. (सिंगल नोडल अकाउंट) मॉडल लागू किया गया है। इसके तहत बजट में केन्द्रांश व राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईन तैयार की गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार प्रशासकीय विभागों को समय–सीमा में केन्द्रांश व राज्यांश की राशि कोषालय से आहरित कर एस.एन.ए. खाते में अंतरित करनी होती है। योजना से संबंधित समस्त व्ययों को इस खाते से वहन किया जाता है।

2/ राज्य में वेतन भत्तों के आहरण व रिकार्ड हेतु ई–कोष मॉड्यूल का उपयोग किया जाता हैं। एस.एन.ए. मॉडल के प्रयोग से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों के आहरण व अभिलेख संधारण में कठिनाईयां उत्पन्न हुई है। इसके निराकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संदर्भित ज्ञापन दिनांक 08.03.2022 द्वारा प्रक्रिया सुझायी गयी है, जिस पर कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 18.10.2022 द्वारा लेखांकन विधि निर्धारित की गई है।

3/ केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए एस.एन.ए. खातें में अंतरण योग्य केन्द्रांश व राज्यांश की राशि का उपयुक्त शीर्षों (यथा– #14–009 प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान आदि) में प्रावधान करते हुए इस राशि के अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन भत्तों के आहरण हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान योजना के राज्य मद (सेगमेंट कोड 0704 / 0705 / 0706) में वेतन घटक (उद्देश्य शीर्ष #01 वेतन भत्ते, आदि व #07 कार्यभारित / आकस्मिकता स्थापना) अंतर्गत किया जाये। इस अतिरिक्त प्रावधान के समायोजन हेतु वेतन घटक के नीचे नवीन उद्देश्य शीर्ष "#98 – एस.एन.ए. मॉडल अंतर्गत समायोजन" खोलते हुए इसमें वेतन घटक की सकल राशि को ऋणात्मक रूप से दर्शाया जावे।

4/ वेतन भत्ते के संवितरण के उपरान्त सकल राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित एस.एन.ए. द्वारा किया जावे। केवल एस.एन.ए. से प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि हेतु संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा राज्य शासन के ई–कोष पोर्टल पर ई–चालान का एक पृथक प्रारूप तैयार किया जाये, जिसमें वेतन भत्ते के व्यय से संबंधित पूर्ण वर्गीकरण (अनुदान संख्या, मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, सेगमेंट कोड, योजना शीर्ष, उद्देश्य व विस्तृत शीर्ष) का स्पष्ट उल्लेख हो, साथ ही यह प्रारूप संबंधित व्यय प्रमाणकों से लिंक किया गया हो।

5/ एस.एन.ए. से प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि को ई–कोष पोर्टल पर बनाए जाने वाले ई–चालान के नये प्रारूप के माध्यम से व्यय किये गये लेखा शीर्ष से संबंधित प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष "500" "Receipts Awaiting Transfer to other Minor Heads (RAT)" के मार्फत राज्य सरकार के लेखे में जमा किया जाए। एस.एन.ए. से चालान के माध्यम से प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि जो लघु शीर्ष "500" "Receipts Awaiting Transfer to other Minor Heads (RAT)" के अंतर्गत दर्ज किया गया है, को कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा संबधित व्यय शीर्ष से व्यय में कमी (Reduction of Expenditure (minus debit)) के रूप में लेखांकन किया जाएगा, ताकि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते के रूप में किया गया कुल व्यय राज्य शासन पर अतिरिक्त व्यय के रूप में परिलक्षित न हो।

6/ केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते के रूप में राज्यांश से किये गये कुल व्यय की राशि का एस.एन.ए. से शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति वित्त वर्ष के अन्त तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते के रूप में राज्यांश से किये गये कुल व्यय की राशि, एस.एन.ए. से प्रतिपूर्ति की राशि तथा प्रतिपूर्ति हेतु शेष राशि का प्रगतिशील मासिक रिपोर्ट आगामी माह के 10 तारीख तक ई–कोष पोर्टल पर दर्शाया जावे तथा यह रिपोर्ट कार्यालय प्रधान महालेखाकार को भी उपलब्ध करायी जावे। साथ ही प्रत्येक छः माह में पूरी राशि के समायोजन उपरांत ही वेतन आहरण किये जाने सम्बंधित चेक सॉफ्टवेर में लगायी जावे।

7/ कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(ऋषभ पराशर) 9/11/2022
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 2152/ पीएफएमएस/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/11/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. समस्त विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ शोध अधिकारी/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. संयुक्त महालेखा नियंत्रक , पी.एफ.एम.एस. ,राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इन्द्रावती भवन नवा रायपुर ,अटल नगर की ओर सूचनार्थ
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. समस्त वरिष्ठ कोषालय/ कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
9. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** पर अपलोड करने हेतु।

9/11/2022
(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

F. No 1(13)/PFMS/FCD/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
******

10 MAR 2022
Secy. Finance

5th Floor, Block 11, CGO Complex
New Delhi, the 8th March, 2022

To

1. All Chief Secretaries/Principal Secretaries (Finance) of all States/UTs.
2. All State Directorates of PFMS.

Subject: **Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) and monitoring utilization of the funds released - reg**

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 23rd March, 2021 on the above mentioned subject. Taking into consideration of the issues raised by various State Governments regarding processing of handling salaries, remittance of statutory dues and other deductions of employees engaged in implementation of CSS such as Samagra Siksha, ICDS etc., it has been decided that the following procedure may be adopted regarding payment of salaries, remittance of statutory dues and other deductions of employees engaged in implementation of CSS:

i. Entire GoI releases along with the State's share for CSS will be transferred to the Single Nodal Account (SN Account).

ii. A separate budget line for the salary portion of such employees will be created in the State budget.

iii. The expenditure towards salary of such officers will be initially borne by the State Govt. and booked under these heads. The record of deductions from their salary such as GPF, GIS, ITAX etc. will be maintained in HRMS/IFMIS of the State.

iv. After the disbursement of salaries, a claim for the gross amount will be raised with the SNA.

v. SNA will book the expenditure under salary component and remits the amount claimed to the treasury.

vi. The amount received from the SNA, will be classified as reduction of expenditure (minus debit) setting off the expenditure initially booked against salary to ensure that the above expenditure will not entail any additional cash outgo for the State.

2. This issues with the approval of Finance Secretary and Secretary (Expenditure).

(Abhay Kumar)
Director
Tel. No. 24360647

Copy to: Secretaries to Government of India (As per list attached)

सचिव छ.ग. शासन, वित्त विभाग
पत्र जावक क्रमांक 887
दिनांक 11/3/2220

Add.Sec./Spl.Sec./Jt.Sec./Dy.Sec/U.Sec/Dir.Fin/...
SS-1
Secretary
Finance Department

CHIEF SECRETARY OFFICE
No. 2470
Date 10-03-2022